

संस्थाओं की मनमानी पर सरकार सख्त, अब होगी कार्रवाई

निजी विश्वविद्यालयों को हर साल देना होगा डिग्रियों का ब्यौरा

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर

प्रदेशभर के सभी निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने और उनकी मनमानी को रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त हो गई है। इन संस्थानों को हर साल डिग्रियों का ब्यौरा सरकार को देना होगा और वेबसाइट पर ऑनलाइन भी प्रदर्शित करना होगा। वहीं पूर्व में जारी की गई समस्त डिग्रियों की जानकारी भी वेबसाइट पर देनी होगी। इसके साथ इसी प्रवेश की अंतिम तिथि तय करने, दाखिला प्रक्रिया को आधार कार्ड के साथ जोड़े जाने तथा प्रवेशित छात्रों का समस्त रिकॉर्ड सरकार को देने के बाद अपनी-अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने निजी विश्वविद्यालय के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके लागू होने से न केवल ने प्रदेश की निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, परीक्षा परिणामों और शोध आदि में पारदर्शिता आएगी, बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस प्रक्रिया से निजी विश्वविद्यालयों की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कोई भी गड़बड़ी की तो वह भी सामने आएगी। ऐसा नहीं करने वाले निजी विश्वविद्यालयों पर सरकार की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश, छात्रों का पूरा डेटा होगा ऑनलाइन

शिक्षक का विवरण आधार व पैन कार्ड से जुड़ा

निजी विश्वविद्यालयों में कार्यरत फैकल्टी मेंबर्स की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने और फैकल्टी मेंबर्स के विवरण को आधार तथा पैन नम्बर के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विभिन्न पाठ्यक्रमों की विनियामक निकायों के प्रावधानानुसार आवश्यक संख्या में संकाय सदस्य रखने, समस्त छात्रों का अलग-अलग रिकॉर्ड और विषयवार डिग्री रजिस्टर रखने के निर्देश दिए हैं।

नहीं है योग्य फैकल्टी

राज्य के अधिकांश निजी उच्च शिक्षण संस्थानों कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में योग्य फैकल्टी नहीं रखने की शिकायत आए दिन मिल रही थी। यह संस्थान एक शिक्षक तो योग्य रखने और अन्य फैकल्टी बिना योग्यता के रख लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

